# कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ14( )2014/एफसीए/प्रमुवसं/ 5097 दिनांकः 05/08/2015

## कार्यालय–आदेश

जिला जैसलमेर एवं बाड़मेर के वनमण्डल क्रमशः जैसलमेर एवं बाड़मेर में एनएच 15 के सेक्शन जैसलमेर–बाड़मेर किमी. 5.00 से 153.00 (वनमण्डल 59.770 है0) तथा (वनमण्डल बाडमेर 56.776 है0 (कुल 116.546 है0) वनभूमि के प्रत्यावर्तन की स्वीकृति उक्त मार्ग के वाईडेनिंग तथा अपग्रेडेशन करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्रांक 8बी/राज/06/21/2014/एफसी/322 दिनांक 6.7.15 द्वारा शर्तोधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की थी। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली ने जरिये अपने पत्रांक 11–306/2014– एफसी दि. 7.5.15 द्वारा माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में प्रस्तुत ओरिजनल एप्लीकेशन नं. 52/2015 के संदर्भ में दि. 13.3.2015 को जारी आदेश के क्रम में दिये गये निर्देशों के अनुसार लिनियर प्रोजेक्ट हेतु वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण जिनमें भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है तथा यूजर एजेंसी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तो के क्रम में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण तथा अन्य आवश्यक मदों में राशि जमा करवायी गयी है, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि वन विभाग के पक्ष में स्थानांतरित कर, उसका वन विभाग के पक्ष में अमल–दरामद किया जा चुका हो, उसमें राज्य सरकार के स्तर से कुछ शर्तोधीन वनभूमि में कार्य करने की अनुमति तथा परियोजना से प्रभावित वृक्षों के पातन की स्वीकृति जारी करने हेतु अधिकृत किया गया है।

चूंकि उक्त परियोजना हेतु वांछित 116.546 है0 वनभूमि के प्रत्यावर्तन की सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है तथा जिसकी शर्तो की पालना हेतु यूजर एजेंसी द्वारा समस्त आवश्यक राशि तदर्थ केम्पा में जमा करवा दी गई है । अतः भारत सरकार के पत्र दिनांक 8.8.14 एवं 7.5.15 एवं राज्य सरकार के पत्र दि. 12.5.15 के क्रम में परियोजना हेतु आवश्यक 158.732 है0 वनभूमि के कार्य प्रारम्भ करने एवं (वनमण्डल जैसलमेर में 2318 वृक्षों के पातन एवं वनमण्डल बाडमेर में 4455 वृक्षों के पातन) कुल 6773 वृक्षों के पातन की स्वीकृति निम्न शर्तो पर प्रदान करने की अनुमति जारी करने के आदेश एतद्द्वारा प्रसारित किये जाते हैः–

1. प्रयोक्ता अभिकरण (NHAI) द्वारा वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव में दिये गये विवरणानुसार ही उक्त राजमार्ग के अपग्रेडेशन एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य सम्पन्न कराया जाना सुनिश्चित किया जावेगा ।
2. अपग्रेडेशन एवं सुदृढ़ीकरण से प्रभावित वनक्षेत्र में आवश्यकतानुसार ही न्यूनतम वृक्षों का तथा अधिकतम प्रस्ताव में उल्लेखित 6773 वृक्षों का ही पातन किया जावेगा ।
3. वृक्षों का पातन वन विभाग के निर्देशन एंव कठोर निगरानी में कराया जायेगा ।
4. वृक्षों के कटान से प्राप्त लकडी मुख्य वन संरक्षक, विभागीय कार्य, जयपुर द्वारा स्थापित अस्थाई डिपो पर प्रयोक्ता अभिकरण (NHAI) द्वारा जमा करवायी जावेगी।
5. परियोजना के निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी।
6. प्रत्यावर्तन हेतु प्रभावित वनभूमि/क्षेत्र का उपयोग प्रस्ताव में उल्लेखित प्रयोजन के अलावा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा।
7. वनभूमि पर मजदूरों आदि के लिए किसी भी प्रकार का कैंप आदि नहीं लगाया जावेगा।
8. प्रयोक्ता अभिकरण राज्य वन विभाग अथवा वैधानिक संस्था से वैकल्पिक ईंधन का क्रय करके मजदूर इत्यादि को उपलब्ध करायेगा ।

5/8

(डॉ0 एस.एस. चौधरी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF),
राजस्थान, जयपुर।

...PTO

E/: Office documents/a

क्रमांकः एफ14(  )20124 / एफसीए / प्रमुवसं / 5098-5108 दिनांकः 05-08-2015

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक (एफसी डिवीजन), भारत सरकार, पर्यावरण एंव वन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई–दिल्ली–110001
2. अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षैत्रीय कार्यालय (मध्यक्षैत्र) पंचम तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024 (उ0प्र0)
3. शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
4. अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन), राज0, जयपुर।
5. मुख्य वन संरक्षक, विभागीय कार्य, जयपुर ।
6. मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर ।
7. **Chief General Manager (Tech.) Cum Regional Officer, Rajasthan, NHAI, Regional Office F-120, Ganpath Shyam Nagar, Jaipur** को उनके पत्रांक 1679 दि. 29.7.15 के क्रम में।
8. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, (पीआईयू–जोधपुर), 148, उम्मेद हेरिटेज रातानाडा, जोधपुर–342006 (राज0)
9. उप वन संरक्षक, जैसलमेर / बाडमेर।
10. रक्षी पत्रावली ।

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एंव नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर

E/: Office documents/a